256

प्रेषक,

संख्या:1736/XXVIII-2/01(18)2013

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 21 अक्टूबर, 2014

**विषय: चिकित्साधिकारी के रिक्त 92 पदों को आस्थगित रखते हुए, इनके सापेक्ष संयुक्त निदेशक के 37 अतिरिक्त (अधिसंख्य) पदों की स्वीकृति विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत पूर्व में गठित सामान्य उप-संवर्ग के वर्ष 2000 बैच के चिकित्साधिकारियों की संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति के सापेक्ष विशेषज्ञ उप-संवर्ग के वर्ष 1991 बैच तक के चिकित्साधिकारियों की ही समतुल्य पद पर पदोन्नति हो सकी है। उपरोक्त चिकित्साधिकारियों की पृथक-पृथक उप-संवर्गवार पदोन्नति में उत्पन्न हो रही उक्त विसंगति के निराकरण एवं विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों को भी पदोन्नति के समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु दोनों उप-संवर्गो का वर्तमान में एकीकरण किया जा चुका है एवं शासनादेश दिनांक 26/ग्ग्टप्प्-2/01(18)2013, दिनांक 08.01.2014 के द्वारा 40 अधिसंख्य पदों का सृजन किया गया तथापि पर्याप्त रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण, पूर्व में विशेषज्ञ उप-संवर्ग में कार्यरत कतिपय चिकित्साधिकारियों की पदोन्नति नहीं की जा सकी है। उपरोक्त विसंगति दूर किए जाने एवं कनिष्ठ की संयुक्त निदेशक पद पर पदोन्नति के दृष्टिगत् वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत किए जाने हेतु इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या-124(एस0/बी0)2014, डा0 हरीश चन्द्र पन्त व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.05.2014 के अनुपालन में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में चिकित्साधिकारी वेतनमान वेतनबैण्ड-3, ₹15600-39100, ग्रेड वेतन ₹5400 के रिक्त 92 पदों को आस्थगित रखते हुए, इन पदों के सापेक्ष संयुक्त निदेशक वेतनमान वेतनबैण्ड-4, ₹37400-67000, ग्रेड वेतन ₹8700 के 37 अतिरिक्त (अधिसंख्य) पद सृजित करने की, निम्नाकित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त पदों के सृजन का उद्देश्य केवल संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति तक सीमित होगा। इस वैकल्पिक व्यवस्था को पूर्व स्वीकृत ढांचे में परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन नहीं माना किया जायेगा।
2. उक्त शासनादेश के निर्गत होने के उपरान्त अपर निदेशक अथवा उच्चतर पदों पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप, संयुक्त निदेशक के पद जैसे-जैसे रिक्त होते जायेंगे, अतिरिक्त (अधिसंख्य) सृजित पद भी इसी कम में स्वत: विलुप्त होते जायेंगे।

3. उपरोक्तानुसार पदोन्नति के फलस्वरूप संयुक्त निदेशक के रिक्त पद उपलब्ध होने पर, चिकित्साधिकारी के पदों का आस्थगन भी 1: 2.5 के अनुपात में स्वत: ही समाप्त होता जायेगा।
4. उपर्युक्त अतिरिक्त (अधिसंख्य) पदों पर होने वाला व्ययभार, आस्थगित पदों के व्ययभार के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

2- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-178(P)XXVII(3)/2014-15, दिनांक 21.10.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
**प्रमुख सचिव।**

**पृष्ठ संख्या-:1736/XXVIII-2/01(18)2013 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, पौडी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव।